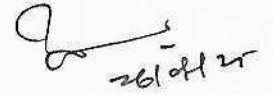


बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

संचिका सं०-5/अ०प्र०-01-02/2024 474 /पटना, दिनांक- 27.8.23

श्रीमती कोमल राजपूत, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना प्रतिनियुक्त राज्य गुणवत्ता समन्वयक कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के द्वारा अपने फुफा जी की चिकित्सा हेतु दिनांक 19.05.2025 से 08.06.2025 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों के उपभोगित अवकाश को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के प्रावधानानुसार उक्त अवकाश अवधि को उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

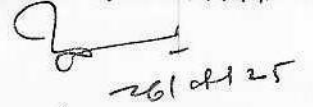


(अभय झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ०प्र०-01-02/2024 9200 /पटना, दिनांक- 27.8.23

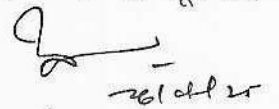
प्रतिलिपि:-महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ०प्र०-01-02/2024 9200 /पटना, दिनांक- 27.8.25

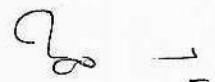
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ०प्र०-01-02/2024 9200 /पटना, दिनांक- 27.8.25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आर्ष सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती कोमल राजपूत, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना प्रतिनियुक्त राज्य गुणवत्ता समन्वयक कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं आईटी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव



office order Priya